राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

प०क्र:- 9(26)राज-6/05 /11 जयपुर,दिनांक:- 6.9.2005

परिपत्र

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व (बीज भंडार के निर्माण के लिए भूमि आवंटन एवं सपरिवर्तन) नियम 1965 के अन्तर्गत आवंटन/संपरिवर्तन की कार्यवाही के सबंध में निर्देश।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी लागू होने के बाद विचारणीय बिन्दू यह है कि बीज भंडार हेतू सपंरिवर्तन की कार्यवाही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में किनके द्वारा की जावेगी? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में आवंटन/सपंरिवर्तन की कार्यवाही सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित की जाती है।

राजस्थान भू-राजस्व (बीज भंडार के निर्माण के लिए भूमि आवंटन एंव सपरितर्वन) नियम 1965 केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रभावी है।

अतः निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में बीज भंडार हेतू भू-सपरिवर्तन/ आवंटन की कार्यवाही सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित की जावेगी।

6/9/2005
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि समस्त अनुभाग राजस्व विभाग